



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08072026-274254  
CG-MH-E-08072026-274254

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 423]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 1 जुलाई, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन)  
विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/305- बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015 में,-

## I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

क. खंड (फ) के बाद और खंड (ब) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(फक) “छोटे निवेशक (जो व्यक्ति हों)” (रीटेल इंजिविजुअल इन्वेस्टर) का अर्थ है - वह निवेशक, जो दो लाख रुपये तक के मूल्य की म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़ के लिए आवेदन करता है या बोली लगाता है;”

ख. खंड (यक) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(यख) “कार्य-दिवस” का अर्थ है - वे सभी दिन, जिन दिनों उस शहर में कमर्शियल (वाणिज्यिक) बैंक कारोबार के लिए खुले रहते हों, जिसका उल्लेख ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) में किया गया हो;

स्पष्टीकरण: इस परिभाषा के उद्देश्य से,-

(i) बोली / इश्यू (निर्गम) की अवधि की घोषणा के संबंध में:

कार्य-दिवस का अर्थ होगा - शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर वे सभी दिन, जिन दिनों उस शहर में कमर्शियल (वाणिज्यिक) बैंक कारोबार के लिए खुले रहते हों, जिसका उल्लेख ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) में किया गया हो;

(ii) बोली / इश्यू के बंद होने की तारीख और स्टॉक एक्सचेंजों में नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़ (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों) को लिस्ट (सूचीबद्ध) कराए जाने की तारीख के बीच की अवधि के संबंध में:

कार्य-दिवस का अर्थ होगा - शनिवार, रविवार और बैंक में अवकाश के दिनों को छोड़कर बोर्ड द्वारा निर्धारित वे सभी दिन, जिन दिनों स्टॉक एक्सचेंजों में नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़ में ट्रेडिंग होती है;”

## II. विनियम 4ड के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“4च. ई.एस.जी. डैट सिक्यूरिटीज़ जारी करना

जो इश्युअर ई.एस.जी. डैट सिक्यूरिटीज़ जारी करना चाहता हो और उन्हें लिस्ट (सूचीबद्ध) करना चाहता हो, उसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 और उसके तहत जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) के अंतर्गत ऐसी सिक्यूरिटीज़ के संबंध में निर्धारित की गई शर्तों का पालन करना होगा।”

## III. विनियम 5 के बाद और विनियम 6 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“5क. किसी खास उद्देश्य से बनी कंपनी (विशेष प्रयोजन माध्यम / स्पेशल पर्पज़ व्हीकल / एस.पी.वी.) के जरिए पैसा जुटाना

यदि इश्युअर भारत सरकार की पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत बनी एस.पी.वी. हो, तो ऐसे में संबंधित नगरपालिकाएँ पैसा जुटाने से पहले उस इश्युअर के साथ एक करार (एग्रीमेंट) करेंगी, और उसकी जानकारी ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) में देंगी। ऐसी एस.पी.वी. या तो एक ट्रस्ट (न्यास) बनेगी या फिर एक कंपनी।”

## IV. विनियम 6 में, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-1” के बाद और शब्दों, चिह्न, अंक तथा अक्षर “एवं अनुसूची-1क” से पहले शब्द, चिह्न, अंक तथा अक्षर “या अनुसूची-1ख (जो भी लागू हो)” जोड़े जाएँगे।

## V. विनियम 9 में,

क. उप-विनियम (1) में,

i. शब्दों, चिह्नों तथा अंक “निर्गमकर्ता (इश्युअर), निर्गम खुलने की तारीख को या उससे पूर्व, व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापन दे सकेगा, और ऐसे विज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूची-IV के अनुसार प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “इश्युअर, इश्यु खुलने की तारीख को या उससे पहले, या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में (यानि कि ऑनलाइन प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों में अथवा इश्युअर या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर) या फिर एक दैनिक समाचारपत्र (जिसे देशभर में पढ़ा जाता हो) में विज्ञापन जारी कर सकेगा, और उस विज्ञापन में वह जानकारी भी दी जाएगी जिसका जिक्र अनुसूची-IV में किया गया है” आ जाएँगे;

ii. चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा

iii. निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि जो इश्युअर पब्लिक इश्यू से संबंधित विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने का विकल्प चुनें, वे एक दैनिक समाचारपत्र (जिसे देशभर में पढ़ा जाता हो) में एक सूचना (नोटिस) भी प्रकाशित करें, जिसमें पूरा विज्ञापन देखने के लिए एक क्यू.आर. कोड और लिंक दिया जाए।

VI. विनियम 14क में, उप-विनियम (2) में, खंड (क) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-1” के बाद और शब्दों, चिह्न, अंक तथा अक्षर “और अनुसूची-1क” से पहले शब्द, चिह्न, अंक तथा अक्षर “या अनुसूची-1ख (जो भी लागू हो)” जोड़े जाएँगे।

VII. विनियम 22ख में,

क. चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;

ख. निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“परंतु यह कि इस विनियम (रेग्यूलेशन) में बताई गई कोई भी बात इश्युअर (निर्गमकर्ता) को वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सेवारत तथा सेवानिवृत्त सेना के जवानों, सेना के दिवंगत जवानों की पत्नी या उनके पति, छोटे निवेशकों (जो व्यक्ति हों) या किसी दूसरे वर्ग के निवेशकों (जिनके बारे में बोर्ड समय-समय पर बताए) को प्रोत्साहन (इनसेंटिव) [जैसे कि अतिरिक्त ब्याज देना या इश्यू प्राइस से कम भाव पर सिक्यूरिटीज़ खरीदने का विकल्प देना] की पेशकश करने से नहीं रोकेंगी:

परंतु यह और कि यह प्रोत्साहन (इनसेंटिव) केवल उसे दिया जा सकेगा जिसे म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़ पहली बार अलॉट (आबंटित) की गई हों, किंतु यदि अलॉटमेंट के बाद म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़ एक बार जब ट्रांसफर या ट्रांसमिट हो जाएँ तो फिर प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकेगा।”

VIII. विनियम 23 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्नों “निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “कंपनी (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय)” आ जाएँगे।

IX. विनियम 27 में, उप-विनियम (3) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-1” के बाद शब्द, चिह्न, अंक तथा अक्षर “या अनुसूची-1ख (जो भी लागू हो)” जोड़े जाएँगे।

X. अनुसूची-1 में, पैरा 5 में, खंड (ज) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(झ) यदि प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही कर्ज लिया हुआ हो और अब उसकी चुकौती करने के लिए नया कर्ज लेना हो, तो ऐसे में उधार देने वालों के ब्यौरे और प्रोजेक्ट (प्रोजेक्टों) के लिए पहले जो कर्ज लिया हुआ हो उसके ब्यौरे निम्नानुसार देने होंगे और निर्धारित फॉर्मेट में देने होंगे:

i. पहले वाला उधार / कर्ज (ऋण) किस तरह का है

ii. पहली बार कितनी रकम का उधार / कर्ज लिया हुआ है

iii. पहले किस-किस ने उधार दिया हुआ है

- iv. पहले उधार किस ब्याजदर पर लिया हुआ है
- v. पहले से जो उधार लिया हुआ है, उसकी चुकौती कब-कब की जानी थी और कितनी-कितनी रकम की चुकौती की जानी थी
- vi. पहले वाले उधार / कर्ज की रकम जिस-जिस प्रोजेक्ट में लगाई गई, उसके ब्यौरे
- vii. उस प्रोजेक्ट के संबंध में यदि पहले कभी रीस्ट्रक्चरिंग की गई, तो उसके ब्यौरे
- viii. पहले वाले कर्ज की चुकौती करने के लिए नया कर्ज लेने का कारण”

XI. अनुसूची-I के बाद और अनुसूची-II से पहले, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

### “अनुसूची-Iख

[विनियम 6, 14क एवं 27 देखें]

[उस एस.पी.वी. (किसी खास उद्देश्य से बनी कंपनी) के मामले में लागू, जिसे ऐसे किसी व्यक्ति के लिए पैसा जुटाने के उद्देश्य से बनाया गया हो, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब (243 डबल्यू) के तहत सौंपे गए एक या एक से अधिक कार्य करता हो]

**ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) और प्लेसमेंट मैमोरेन्डम (स्थानन ज्ञापन) में दी जाने वाली जानकारी**

इस अनुसूची के अनुसार दी जाने वाली समस्त जानकारी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज) या प्रारंभिक प्लेसमेंट मैमोरेन्डम (स्थानन ज्ञापन) अथवा ऑफर डॉक्यूमेंट या प्लेसमेंट मैमोरेन्डम (जो भी लागू हो) में दी जाए।

#### 1. अनुदेश:

- (क) जो भी जानकारी दी जाए, वह उपयुक्त हो और सबसे हाल की (अपडेटेड) हो। जो कुछ भी कहा जाए और जो भी दावे किए जाएँ, उसके (उनके) स्रोत और आधार अवश्य बताए जाएँ।
- (ख) ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट / प्रारंभिक प्लेसमेंट मैमोरेन्डम में जहाँ-जहाँ कॉलमों आदि को खाली छोड़ दिया गया हो, वहाँ-वहाँ उपयुक्त डाटा, ऑफर डॉक्यूमेंट / प्लेसमेंट मैमोरेन्डम (जो भी लागू हो) कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराए जाने या फिर उसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल करने से पहले ही, भर लिया जाए।
- (ग) आसान अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि विषय-वस्तु को आसानी से समझा जा सके। इश्युअर के कारोबार को समझाने के लिए यदि किन्हीं तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, तो आसान शब्दों में उनका अर्थ स्पष्ट कर दिया जाए।
- (घ) जहाँ कहीं भी यह जिक्र किया जाए कि ब्यौरे दस्तावेज में कहीं और दिए हुए हैं, वहाँ यह भी बताया जाए कि वे ब्यौरे कहाँ दिए हुए हैं (यानि कि जिस पैरा के अंतर्गत वे ब्यौरे दिए हुए हों, उसके शीर्षक व पृष्ठ संख्या का भी जिक्र किया जाए)।
- (ङ) भविष्य में स्थिति कैसी होगी, इसका अनुमान लगाकर ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत न किए जाएँ, जिन्हें साबित न किया जा सके।
- (च) यह सुनिश्चित किया जाए कि जानकारी एक ही शैली में दी जाए। यदि प्रथम पुरुष का इस्तेमाल किया जाए, तो पूरे दस्तावेज में उसी का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे वाक्यों से बचा जाए जिनमें प्रथम और अन्य पुरुष दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
- (छ) आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए केवल एक ही मुद्रा का इस्तेमाल किया जाए।

## 2. लागू होना:

जो इश्युअर म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़ का पब्लिक इश्यू लाना चाहता हो या फिर जो म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़ का प्राइवेट प्लेसमेंट करके उन्हें लिस्ट (सूचीबद्ध) कराना चाहता हो, वह इस अनुसूची के अनुसार जानकारी देगा।

## 3. आम तौर पर दी जाने वाली जानकारी:

- (क) इश्युअर के प्रधान कार्यालय और दूसरे कार्यालयों के नाम व पते बताए जाएँ।  
 (ख) इश्युअर के पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय (यदि लागू हो) का पता बताया जाए।  
 (ग) इश्युअर के इश्यू / प्रोजेक्ट के संबंध में मंजूरी देने वाली समिति और बॉण्ड इश्यू करने वाली समिति या किसी दूसरी ऐसी समिति के सदस्यों के ब्यौरे निम्नलिखित फॉर्मेट में दिए जाएँ:

नाम और पता	नियुक्त किए जाने या त्यागपत्र दिए जाने की तारीख	कब से समिति के सदस्य थे (त्यागपत्र दिए जाने के मामले में)	टिप्पणियाँ

- (घ) यदि इश्युअर एक कंपनी हो, तो इश्युअर के निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य का नाम, पदनाम, पता और डी.आई.एन. बताया जाए।  
 (ङ) इश्युअर के अनुपालन अधिकारी का नाम, पता, उसकी दूरभाष संख्या और उसकी ईमेल आई.डी. बताई जाए।  
 (च) म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़ से जुड़ी निवेशकों की शिकायतों के निवारण के कार्य से जुड़े प्रभारी अधिकारी के पूरे ब्यौरों के साथ-साथ उसका पता, उसकी दूरभाष संख्या, उसकी ईमेल आई.डी., आदि भी बताई जाए।  
 (छ) इश्युअर के मुख्य लेखा व वित्तीय अधिकारी या उसी ओहदे वाले अधिकारी के ब्यौरे दिए जाएँ।  
 (ज) इंस्ट्रूमेंट (लिखत) के अरेंजर (व्यवस्थापकों), यदि कोई हों, के ब्यौरे दिए जाएँ।  
 (झ) इश्यू के डिबेंचर ट्रस्टी की जानकारी दी जाए।  
 (ञ) इश्यू के रजिस्ट्रार की जानकारी दी जाए।  
 (ट) इश्यू की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (एजेंसियों) की जानकारी दी जाए; और  
 (ठ) इश्युअर के ऑडिटर्स (लेखापरीक्षकों) की जानकारी दी जाए।  
 (ड) इश्यू के लीड मैनेजर (मैनेजरों) [अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)], इश्यू के रजिस्ट्रारों, इश्यू से जुड़े बैंकरों (बैंकर्स टू द इश्यू / निर्गमन बैंककारों), ब्रोकरों और सिंडिकेट मेंबर (मेंबरों) [सिंडिकेट सदस्य (सदस्यों)] के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ, उनके संपर्क व्यक्ति, उनकी वेबसाइट के पते और ईमेल आई.डी. का जिक्र किया जाए; सेबी की वेबसाइट का वह यू.आर.एल. दिया जाए, जिसमें सेल्फ-सर्टिफाइड (स्व-प्रमाणित) सिंडिकेट बैंकों, इश्यू के रजिस्ट्रार और डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स (निक्षेपागार सहभागी), आदि (जो भी लागू हों) के ब्यौरे दिए हुए हों।  
 (ढ) कंपनी सेक्रेटरी, कानूनी सलाहकार, अंडरराइटर और इश्यू के बैंकरों (निर्गमन बैंककारों) के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ और उनकी ईमेल आई.डी. बताई जाए।  
 (ण) डिबेंचर ट्रस्टी (ट्रस्टीज़) के नाम का जिक्र करते हुए यह भी उल्लेख किया जाए कि डिबेंचर ट्रस्टी (ट्रस्टीज़) ने इश्युअर को अपनी नियुक्ति के संबंध में अपनी सहमति दे दी है। इसका उल्लेख डैट सिक्यूरिटीज़ के निवेशकों को आगे चलकर भेजे जाने वाले सभी पत्रों आदि में किया जाए।

(त) यह बताया जाए कि निवेशकों की शिकायतों के निवारण की क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं।

#### 4. इश्युअर की जानकारी और इश्युअर के कैपिटल स्ट्रक्चर (की पूंजी संरचना) की जानकारी:

- (क) इश्युअर के गठन से संबंधित दस्तावेज लगाए जाएँ।
- (ख) इश्युअर के कैपिटल स्ट्रक्चर के ब्यौरे दिए जाएँ (यदि देने लाजिमी हों)।
- (ग) इश्युअर के प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के ढाँचे के ब्यौरे दिए जाएँ।
- (घ) यह जानकारी दी जाए कि किस-किस के पास किन-किन तरह के कितने-कितने शेयर हैं (शेयरहोल्डिंग पैटर्न / शेयरधारिता स्वरूप के ब्यौरे दिए जाएँ), और साथ ही यह भी बताया जाए कि इश्युअर के 10 सबसे बड़े शेयरधारक कौन हैं (यदि बताना लाजिमी हो)।
- (ङ) उस संकल्प (रेज़ोल्यूशन) की प्रति लगाई जाए, जिसमें इश्युअर और प्रत्येक संबंधित नगरपालिका को उधार लेने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, और साथ ही इश्युअर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची भी दी जाए।
- (च) इश्युअर की म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़ को अलॉट (आबंटित) किए जाने हेतु जो जरूरी संकल्प पारित किया गया (पारित किए गए), उसके (उनके) ब्यौरे दिए जाएँ।
- (छ) यदि इश्युअर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनी एक कंपनी हो, तो ऐसे में मैमोरेन्डम ऑफ असोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन की प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ (यदि लाजिमी हो)।
- (ज) यदि पिछले 1 वर्ष में इश्युअर के प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) में कोई फेरबदल आदि हुआ हो, तो उसके ब्यौरे दिए जाएँ।
- (झ) जिन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाए जाने का प्रस्ताव हो, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के ब्यौरे दिए जाएँ।
- (ञ) जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, उसमें कितना ग्रांट मिलना है और कितना मिल चुका है।

#### 5. इश्यू के उद्देश्य :

- (क) इस प्रकार जो इश्यू लाया जा रहा है, उससे जो पैसा आएगा उसके संबंध में यह साफ-साफ बता दिया जाए कि उसका इस्तेमाल किस प्रोजेक्ट में या किन-किन प्रोजेक्ट में किया जाएगा, और साथ ही उस स्थान का भी जिक्र कर दिया जाए कि जहाँ वह (वे) प्रोजेक्ट लगाया जाएगा (लगाए जाएंगे) तथा प्लांट (संयंत्र) व मशीनरी, तकनीक, प्रक्रिया, आदि के भी ब्यौरे दिए जाएँ।
- (ख) जहाँ इश्युअर एक से अधिक कार्य करना या प्रोजेक्ट लगाना (जैसे कि अलग-अलग तरह के, आधुनिक तकनीक वाले कार्य करना या प्रोजेक्ट लगाना, या फिर पहले से मौजूद प्रोजेक्ट आदि का दायरा और फैलाना) चाहता हो, वहाँ यह बताया जाए कि यथास्थिति ऐसे प्रत्येक कार्य या प्रोजेक्ट में कितनी-कितनी लागत आएगी।
- (ग) जहाँ इश्युअर अपना (अपने) प्रोजेक्ट चरणबद्ध रूप से लगा रहा हो, वहाँ यह बताया जाए कि प्रत्येक चरण में कितनी-कितनी लागत आएगी और साथ ही यह भी बताया जाए कि जो-जो चरण पूरे हो चुके हों (यदि कोई पूरे हो चुके हों), उनमें कितनी-कितनी लागत आई।
- (घ) यह बताया जाए कि स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी की मंजूरी से प्रोजेक्ट के लिए चरणबद्ध तरीके से पैसा कब-कब और कहाँ-कहाँ से जुटाया जाएगा।

- (ड) यह बताया जाए कि प्रोजेक्ट कितने-कितने समय में पूरा होगा (पूरे होंगे)।
- (च) यह बताया जाए कि प्रोजेक्ट शुरू करने और उसे (उन्हें) पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें यह भी बताया जाए कि प्रोजेक्ट का कौन-कौन सा चरण कब-कब पूरा करने का लक्ष्य है।
- (छ) यदि विनियामक (रेग्युलेटरी) प्रावधानों के तहत मंजूरी लेनी जरूरी हो, तो ऐसे में ली जाने वाली मंजूरी के ब्यौरे देते हुए यह बताया जाए कि क्या मंजूरी मिल गई है।
- (ज) इश्यू लाने में हुए खर्चों:
- इश्यू लाने में हुए खर्चों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया जाए कि प्रत्येक मद के संबंध में कितना खर्च हुआ, जिसमें शामिल है – निम्नानुसार अलग-अलग अदा की जाने वाली फीस के ब्यौरे (जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि जितनी रकम अदा की जानी है, वह इश्यू के कुल खर्च का कितना प्रतिशत है और वह इश्यू के कुल आकार का कितना प्रतिशत है):
- (i) लीड मैनेजर [अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)] की फीस
  - (ii) दलाली (ब्रोकरेज), बिक्री हेतु अदा किए जाने वाला कमीशन और अपलोड करने संबंधी फीस
  - (iii) इश्यू के रजिस्ट्रार को अदा की जाने वाली फीस (अंडरराइटिंग कमीशन सहित)
  - (iv) कानूनी सलाहकारों को अदा की जाने वाली फीस
  - (v) विज्ञापनों और मार्केटिंग पर किया जाने वाला खर्च
  - (vi) विनियामकों (रेग्युलेटर्स) [स्टॉक एक्सचेंज सहित] को अदा की जाने वाली फीस
  - (vii) छपाई और इश्यू से संबंधित स्टेशनरी बांटने पर किया गया खर्च
  - (viii) अगर कुछ और हो, तो (हालाँकि स्पष्ट करना होगा)।
- (झ) यदि प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही कर्ज लिया हुआ हो और अब उसकी चुकौती करके फिर से कर्ज लेना हो, तो ऐसे में उधार देने वालों के ब्यौरे और प्रोजेक्ट (प्रोजेक्टों) के लिए पहले जो कर्ज लिया हुआ था उसके ब्यौरे निम्नानुसार देने होंगे और निर्धारित फॉर्मेट में देने होंगे:
- (i) पहले वाला उधार / कर्ज (ऋण) किस तरह का है
  - (ii) पहली बार कितनी रकम का उधार / कर्ज लिया हुआ है
  - (iii) पहले किस-किस ने उधार दिया हुआ है
  - (iv) पहले उधार किस ब्याजदर पर लिया हुआ है
  - (v) पहले से जो उधार दिया हुआ है, उसकी चुकौती कब-कब की जानी थी और कितनी-कितनी रकम की चुकौती की जानी थी
  - (vi) पहले वाले उधार / कर्ज की रकम जिस-जिस प्रोजेक्ट में लगाई गई, उसके ब्यौरे
  - (vii) उस प्रोजेक्ट के संबंध में यदि पहले कभी रीस्ट्रक्चरिंग की गई, तो उसके ब्यौरे
  - (viii) पहले वाले कर्ज की चुकौती करने के लिए नया कर्ज लेने का कारण”

## 6. कर संबंधी फायदे (कर लाभ):

यह बताया जाए कि इश्युअर और उसके निवेशकों को कर संबंधी कोई खास फायदा मिलता है या नहीं (फिर चाहे वह प्रत्यक्ष कर से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत मिले या फिर अप्रत्यक्ष कर से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत)।

## 7. इश्यू से जुड़ी जानकारी:

- (क) इश्यू / इंस्ट्रूमेंट से संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन) आदि की जानकारी दी जाए – इस संबंध में जो-जो कानूनी प्रावधान लागू होंगे उनके (यानि कि अधिनियम, आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों, आदि के) ब्यौरे दिए जाएँ।
- (ख) इसके ब्यौरे दिए जाएँ कि रेटिंग देते समय क्या प्रक्रिया अपनाई गई और किस आधार पर रेटिंग दी गई (केवल उन्हीं रेटिंग के संबंध में यह जानकारी दी जाए, जो इश्यू खुलने की तारीख से एक वर्ष पहले तक की ही हों) / रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग देते समय जारी किए गए पत्र की प्रति भी लगाई जाए (केवल उन्हीं पत्रों की प्रतियाँ लगाई जाएँ, जो इश्यू खुलने की तारीख से एक महीने पहले तक के ही हों)। उन सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम बताए जाएँ जिनसे क्रेडिट रेटिंग ली गई, फिर भले ही उनके द्वारा दी गई रेटिंग कबूल न की गई हो।
- (ग) क्रेडिट एन्हांसमेंट व्यवस्था (यदि कोई हों) के पूरे ब्यौरे (यदि कोई हों) दिए जाएँ।
- (घ) उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के नाम बताए जाएँ, जहाँ डेट सिक्यूरिटीज़ को लिस्ट (सूचीबद्ध) कराया जाना हो, और साथ ही नामनिर्दिष्ट (डिसिग्रेटेड) स्टॉक एक्सचेंज का भी साफ-साफ उल्लेख कर दिया जाए।
- (ङ) यह बताया जाए कि यदि नियत तारीखों को ब्याज के भुगतान में या मूलधन की रकम लौटाने में चूक हो जाए, तो ऐसे में कूपन की दर के अलावा और कितना अतिरिक्त ब्याज अदा किया जाएगा।
- (च) डेट सिक्यूरिटीज़ को लिस्ट कराए जाने में यदि देरी हो जाए, तो ऐसे में जिस तारीख को आबंटन (अलॉटमेंट) हुआ माना गया हो उस तारीख से इश्युअर द्वारा जुर्माने के तौर पर कितना ब्याज अदा किया जाएगा।
- (छ) डिबेंचर रिडेंप्शन रिज़र्व और ऐसे ही दूसरे रिज़र्व बनाए जाने की जानकारी दी जाए और साथ ही संबंधित विनियमों आदि (जो लागू हों) का भी जिक्र किया जाए।
- (ज) आवेदन की प्रक्रिया बताई जाए।
- (झ) यह बताया जाए कि भुगतान की तारीखें तय करने और उनमें बदलाव आदि करने की क्या प्रक्रिया है [उन दिनों के संबंध में, जब किसी कारणवश (जैसे कि बैंक में अचानक अवकाश हो जाने की वजह से) भुगतान न किया जा सके]।
- (ञ) यह बताया जाए कि 'भुगतान की शर्तें आदि' क्या हैं और आबंटन (अलॉटमेंट) करने तथा इश्यू सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) जारी करने / डीमैट खाते में सिक्यूरिटीज़ जमा कराने की प्रक्रिया क्या है और ऐसा कब-कब किया जाएगा।
- (ट) यह बताया जाए कि आवेदन कैसे करें, आवेदन फॉर्म तथा प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) कहाँ मिलेंगे और भुगतान कैसे किया जा सकता है।
- (ठ) यह बताया जाए कि पिछले 5 वर्षों में जारी की गई म्युनिसिपल डेट सिक्यूरिटीज़ की शर्तों आदि में क्या-क्या बदलाव किया गया (जैसे कि कूपन दर में, मैच्यूरिटी के मामले में, कॉल/पुट ऑप्शन के मामले में क्या-क्या बदलाव किया गया, आदि)।
- (ड) इसके ब्यौरे दिए जाएँ कि ब्याज / मूलधन की रकम की चुकौती हेतु एस्करो खाते आदि से भुगतान की क्या व्यवस्था की गई है।

## 8. वित्तीय जानकारी

1. पिछले 3 वर्षों के वित्तीय विवरणों के अनुसार निम्नलिखित ब्यौरे (सारणी में) दिए जाएँ:
  - (a) इश्युअर के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के संक्षिप्त तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), खर्चों व आमदनी के खाते और प्राप्त भुगतान व किए गए भुगतान के खाते के मुख्य-मुख्य शीर्ष के ब्यौरे दिए जाएँ:
 

परंतु यह कि जो इश्युअर प्राइवेट प्लेसमेंट (निजी स्थानन) करके डेट सिक्यूरिटीज़ जारी (इश्यू)

करना चाहते हों और जिन्हें बने तीन वर्षों से ज्यादा का समय न बीता हो, वे उपरोक्त वित्तीय विवरण उतनी अवधि के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे जब से वे बने हों।

- (b) इश्युअर के उस वेबपेज का लिंक और क्यू.आर. कोड दिया जाए, जहाँ से इश्युअर और संबंधित नगरपालिकाओं के संक्षिप्त तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), खर्चों व आमदनी के खाते और प्राप्त भुगतान व किए गए भुगतान के खाते देखे जा सकें।
- (c) इश्युअर के उस वेबपेज का लिंक और क्यू.आर. कोड दिया जाए, जहाँ से संबंधित नगरपालिकाओं के पिछले तीन वर्षों के बजट संबंधी दस्तावेज [जिनमें यह बताया गया हो कि वास्तव में वित्तीय स्थिति कैसी रही और/या जिसमें संशोधित अनुमान और संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) के ब्यौरे भी दिए गए हों] देखे जा सकें।
- (d) संबंधित नगरपालिकाओं और इश्युअर की वित्तीय स्थिति से जुड़े आंकड़े (पिछले तीन वर्षों के अलग-अलग) निम्नानुसार दिए जाएँ:

वित्तीय स्थिति से जुड़े अहम आँकड़े	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
कामकाज से हुई आमदनी			
कामकाज पर हुआ खर्च (ब्याज को छोड़कर)			
कामकाज से कुल मिलाकर हुई आमदनी (खर्च घटाकर)			
कुल कितना ब्याज अदा किया गया			
मूलधन की रकम में से कितनी रकम चुकाई गई (सिंकिंग फंड में से चुकाई गई रकम को छोड़कर)			
सिंकिंग फंड में कितना पैसा डाला गया			
कुल मिलाकर हुई आमदनी (खर्च घटाकर)			
पूँजीगत आय (कैपिटल इनकम)			
पूँजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंस)			
पूँजीगत आय में से पूँजीगत व्यय घटाकर शेष रकम			
कुल मिलाकर हुई समस्त आमदनी में से समस्त खर्च घटाकर शेष रकम			
डिपॉजिट और एडवांस की रकम का अंतर			
वर्ष की शुरूआत में नकदी के तौर पर कितना पैसा पड़ा था / बैंक खाते में कितना पैसा पड़ा था			
नकद पैसा / बैंक खाते में पड़ा पैसा कितना बढ़ा / घटा			
वर्ष के अंत में नकदी के तौर पर कितना पैसा पड़ा रहा / बैंक खाते में कितना पैसा पड़ा रहा			
सिंकिंग फंड से कर्ज की कितनी रकम चुकाई गई			
वर्ष की शुरूआत में सिंकिंग फंड में कितना पैसा रहा			
सिंकिंग फंड कितना बढ़ा / घटा			
वर्ष के अंत में सिंकिंग फंड में कितनी रकम शेष रही			
कर्ज (ऋण / डैट) की कुल रकम कितनी रही			



वित्तीय वर्ष								
वित्तीय वर्ष								

## IV. इश्युअर और संबंधित नगरपालिकाओं के उधार के ब्यौरे

सबसे अंत की तिमाही के समाप्त होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, उधारों के ब्यौरे:-

## a. जमानती ऋण (सिक्वोर्ड लोन) संबंधी सुविधाओं के ब्यौरे:-

उधार देने वाले का नाम	किस तरह की सुविधा दी गई	मंजूर की गई रकम	बकाया मूलधन की रकम	रिडेंप्शन की तारीख आदि	जमानत (सिक्वोरिटी)

## b. गैर-जमानती ऋण (अनसिक्वोर्ड लोन) संबंधी सुविधाओं के ब्यौरे:-

उधार देने वाले का नाम	किस तरह की सुविधा दी गई	मंजूर की गई रकम	बकाया मूलधन की रकम	रिडेंप्शन की तारीख आदि

## c. एन.सी.डी. / बॉण्डों के ब्यौरे:-

डिबेंचर / बॉण्ड की सीरीज़	मीयाद कितनी है (मैच्यूरिटी)	कूपन	रकम	अलॉटमेंट (आबंटन) की तारीख	रिडेंप्शन की तारीख आदि	क्रेडिट रेटिंग	जमानती / गैर-जमानती	जमानत (सिक्वोरिटी)

## d. सबसे बड़े दस डिबेंचर धारकों (होल्डर्स) की सूची (..... तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	डिबेंचर धारकों (होल्डर्स) का नाम	रकम

टिप्पणी: शीर्ष दस धारकों (होल्डर्स) के ब्यौरे दिए जाएँ (जो मूल्य के अनुसार दिए जाएँ और, जारी किए गए सभी मौजूदा डिबेंचर की जानकारी समेकित रूप से दी जाए)

## e. कमर्शियल पेपर (वाणिज्यिक पत्र) के ब्यौरे:- सबसे अंत की तिमाही के समाप्त होने तक की स्थिति के अनुसार मौजूदा कमर्शियल पेपर्स की कुल फेस वैल्यू (अंकित मूल्य) बताई जाए और इनका अलग-अलग

विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया जाए:-

मीयाद पूरी होने (मैच्यूरिटी) की तारीख	बकाया रकम

f. लिए गए बाकी के उधारों के ब्यौरे

g. थोड़ी या पूरी नकद रकम लिए बिना जारी की गई डेट सिक्क्यूरिटीज़, फिर चाहे वे प्रीमियम पर जारी की गई हों या फिर डिस्काउंट पर और या फिर ऑप्शन का प्रयोग किए जाने पर जारी की गई हों;

V. यह बताया जाए क्या इतनी पर्याप्त आमदनी होती है जिससे कि चुकौती और रिडेम्पशन समय पर हो सके।

VI. असेट्स और लायबिलिटी का संतुलन बिगड़ने कि गुंजाइश कहाँ-कहाँ हो सकती है और इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

### 9. कानूनी कार्यवाहियों आदि से संबंधित जानकारी और अन्य जानकारी:

a. चल रहे मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी:

चल रहे मुकदमों के ब्यौरे [जिनमें इश्युअर / उसके निदेशकों / उसके प्रोमोटर (संप्रवर्तकों) / उसकी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरी / समनुषंगी) / संबंधित नगरपालिकाओं के नाम भी शामिल हों]:

(i) सभी दांडिक कार्यवाहियों (क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स) के ब्यौरे;

(ii) विनियामक प्राधिकरणों (रेग्यूलेटरी अथॉरिटीज़) और कानूनी प्राधिकरणों (स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़) द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों के ब्यौरे;

(iii) पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान प्रोमोटर्स के खिलाफ सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई [जिसमें शास्ति (पेनल्टी) लगाने के संबंध में की गई कार्रवाई भी शामिल है] और चल रही किसी कार्रवाई के ब्यौरे;

(iv) प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में किए गए दावों के ब्यौरे (सभी को मिलाकर), मामलों की संख्या और कुल रकम के ब्यौरे देते हुए;

(v) चल रहे दूसरे मुकदमे के ब्यौरे - इश्युअर के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) द्वारा निर्धारित की गई मटिरीयलिटी की नीति के अनुसार [जिसका जिक्र ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) / प्लेसमेंट मैमोरैंडम (स्थानन ज्ञापन) में किया गया हो]।

b. इश्युअर द्वारा लेनदारों को कितनी रकम अदा की जानी है:

(i) इश्युअर की वेबसाइट पर एक वेबलिनक और क्यू.आर. कोड दिया जाए, जहाँ से इश्युअर के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) द्वारा निर्धारित की गई मटिरीयलिटी की नीति के अनुसार, लेनदारों के ब्यौरे देखे जा सकें (यानि कि देखा जा सके कि लेनदारों की कुल संख्या कितनी है और इश्युअर तथा संबंधित नगरपालिकाओं की ओर से उन्हें कितनी रकम अदा की जानी है);

(ii) इश्युअर की वेबसाइट पर एक वेबलिनक और क्यू.आर. कोड दिया जाए, जहाँ से यह पता चल सके कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइसेस) को कुल मिलाकर कितनी रकम अदा की जानी है, साथ ही यह भी

बताया जाए कि ऐसे कितने मामले हैं और इस प्रकार के हर मामले के बारे में अलग-अलग जानकारी दी जाए और यह भी बताया जाए कि किस मामले में कितनी रकम अदा कि जानी है;

- (iii) कंपनी की वेबसाइट पर एक वेबलिंग और क्यू.आर. कोड दिया जाए, जहाँ से बड़े लेनदारों को अदा की जाने वाली बकाया रकम के पूरे ब्यौरे (जिनमें ऐसे प्रत्येक लेनदार का नाम और उन्हें अदा की जाने रकम के ब्यौरे भी शामिल है) देखे जा सकें।
- c. यदि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज) / प्रारंभिक प्लेसमेंट मैमोरेण्डम (स्थानन ज्ञापन) दाखिल करने के बाद उपरोक्तानुसार कोई मुकदमा चलाया जाता है, कोई महत्वपूर्ण घटना होती है या लेनदारों को कोई रकम अदा करने की देनदारी बनती है, तो उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से ऑफर डॉक्यूमेंट / प्लेसमेंट मैमोरेण्डम में देनी होगी। यदि ऐसा कुछ न हुआ हो, तो भी इस संबंध में ऑफर डॉक्यूमेंट / प्लेसमेंट मैमोरेण्डम में यह बताना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
- d. जिस तारीख को इश्युअर की अंतिम बैलेंस शीट (तुलन-पत्र) तैयार की गई हो, उसके बाद यदि कोई अहम घटना घटती हो, तो उनकी जानकारी ऑफर डॉक्यूमेंट या प्लेसमेंट मैमोरेण्डम में अलग से दी जाएगी।
- e. ऐसा विवरण दिया जाए, जिसमें यह बताया जाए कि इश्युअर के सभी बड़े करार आदि कब-कब किए गए और उनमें कौन-कौन से पक्ष शामिल रहे:  
परंतु यह कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसे और विवरण या दस्तावेज मंगा सकेगा, जो भी वह ठीक समझे।
- f. यदि कुछ अहम हो जाए तो उसकी जानकारी दी जाए (जैसे कि इश्युअर के खिलाफ किसी विनियामक द्वारा ऐसी कोई बड़ी कार्यवाही कर दी जाए, जिससे कि उस पर बड़ी देनदारी बन जाए, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए, आदि), जिसकी वजह से इश्यू लाते समय इश्युअर की वित्तीय स्थिति / उसकी क्रेडिट क्वालिटी पर असर पड़ने की गुंजाइश बढ़ जाए और जिससे न केवल इश्यू पर असर पड़ने की गुंजाइश बढ़ जाए, बल्कि उससे म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़ में निवेश करने / निवेश बनाए रखने के संबंध में निवेशक के निर्णय पर भी असर पड़ने की गुंजाइश बढ़ जाए।
- g. इश्युअर और संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा यदि कानूनी प्रावधानों के अनुसार अदा की जाने वाली रकम अदा न की गई हो (यदि कोई हो), तो उसके ब्यौरे दिए जाएँ
- h. इश्युअर द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान जो टर्म लोन लिए गए, जो डैट सिक्यूरिटीज़ और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जारी किए गए हों, उनके ब्याज और मूलधन की रकम के भुगतान में यदि कोई चूक की गई हो और/या कोई देरी की गई हो, तो उसके ब्यौरे दिए जाएँ।

#### 10. सरकारी मंजूरीयों:

- a. भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, आदि (जो भी इश्युअर के मामले में लागू हो) से निवेश के संबंध में जो मंजूरीयों मिली हुई हों, जो आशय-पत्र (लेटर ऑफ इंटेन्ट) या उद्योग संबंधी लाइसेंस (इंडस्ट्रियल लाइसेंस) मिला हुआ हो उसकी प्रति लगाई जाए, वित्तीय स्थिति मजबूत होने या विवरणों के सटीक होने को लेकर और इस संबंध में एक घोषणा प्रस्तुत की जाए कि केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) कोई जिम्मेदारी नहीं बनती;
- b. उन सभी सरकारी और अन्य मंजूरीयों की प्रतियाँ लगाई जाएँ, जो इश्युअर और उसकी

महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों हेतु कारोबार चलने और कामकाज करने के लिए लेना जरूरी हो।

### 11. इश्युअर द्वारा वचन:

इश्युअर द्वारा यह वचन दिया जाए कि:

- वह ऑफर डॉक्यूमेंट या प्लेसमेंट मैमोरेण्डम में बताए गए दस्तावेज डिबेंचर ट्रस्टी को इलेक्ट्रॉनिक रूप (सॉफ्ट कॉपी) में प्रस्तुत करेगा।
- इश्यू के संबंध में जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी, इश्युअर उनका निपटारा जल्द से जल्द और संतोषजनक रूप से करेगा।
- जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बॉण्ड आदि (सिक््यूरिटीज़) लिस्ट (सूचीबद्ध) कराई जानी हों, उन स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग और ट्रेडिंग शुरू किए जाने के संबंध में जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सभी कदम, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई अवधि के भीतर, उठा लिए जाएंगे।
- यदि वह एक ऐसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) हो, जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होते हों, तो वह अपने निदेशक (निदेशकों) द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह जिक्र किया जाएगा कि ऑफर डॉक्यूमेंट / प्लेसमेंट मैमोरेण्डम में दी गई जानकारी सही है, सभी जरूरी जानकारी दी गई है और जो पर्याप्त है, और लाए जाने वाले इश्यू के संबंध में निवेश को लेकर निवेशक उस जानकारी के आधार पर सोच-समझकर निर्णय ले सकते हैं।
- इश्युअर के बोर्ड या उसकी स्टैंडिंग कमेटी द्वारा यह साफ-साफ उल्लेख किया जाएगा कि इश्यू से मिलने वाला पूरा पैसा एक अलग बैंक खाते में जमा (ट्रांसफर) करा दिया जाएगा।
- जब तक पब्लिक ऑफर के जरिए लाए गए पिछले इश्यू से जुटाए गए पैसों का पूरी तरह से इस्तेमाल न कर लिया जाए, तब तक बैलेंस शीट में यह जानकारी दी जाएगी कि कितने पैसों का इस्तेमाल कर लिया गया है (यह भी बताना होगा कि पैसों का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया गया) और कितने पैसों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और साथ ही यह भी बताना होगा कि जिन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया गया है उनका निवेश किन-किन सिक््यूरिटीज़ और फाइनेशियल असेट्स में किया गया है।

### 12. कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने जरूरी हैं

- उस संकल्प (रेज़ोल्यूशन) की प्रति (जिसके जरिए उधार लेने के संबंध में प्राधिकृत किया गया हो) दी जाए और उस पर इश्युअर की ओर से जिन प्राधिकृत व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हों, उनकी सूची भी दी जाए।
- उस ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) की प्रति दी जाए, जिसके अनुसार इश्युअर का गठन ट्रस्ट के रूप में किया गया हो।
- वे दस्तावेज दिए जाएँ, जो इश्यू के संबंध में तैयार किए गए हों या तैयार किए जाने वाले हों

### 13. क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं (रिस्क फैक्टर्स):

- जो-जो जोखिम हो सकते हैं उनकी जानकारी ऐसे फॉण्ट (जिसका आकार दस से कम का न हो) में छपवाई जाए, जिसे साफ-साफ पढ़ा जा सके।
- जोखिमों की जानकारी दो हिस्सों में दी जाए - पहले हिस्से में उन जोखिमों की जानकारी दी जाए जो किसी प्रोजेक्ट विशेष से जुड़े हुए हों और जो इश्युअर तथा संबंधित नगरपालिकाओं की आंतरिक कार्यप्रणाली से संबंधित हों, और साथ ही दूसरे हिस्से में उन जोखिमों की जानकारी दी जाए जो बाहरी घटनाओं की वजह से हो सकते हों और जो इश्युअर तथा संबंधित नगरपालिकाओं के नियंत्रण से परे हों।

- (c) जोखिमों का निर्धारण उनकी मटेरियलिटी के आधार पर किया जाए। ऐसा करते समय, इन बातों पर गौर किया जाए:
- ऐसे कुछ जोखिम हो सकते हैं, जो अपने-आप में तो बड़े न हों, लेकिन जब उन्हें दूसरे जोखिमों के साथ मिलकर देखा जाए, तब वे काफी बड़े जोखिम हो सकते हैं।
  - ऐसे कुछ जोखिम हो सकते हैं, जिनसे होने वाला नुकसान मापा न जा सके लेकिन जिनका असर गहरा हो।
  - ऐसे कुछ जोखिम हो सकते हैं, जो फिलहाल बड़े न हों लेकिन आगे चलकर वे बड़े बन सकते हों।
- (d) प्रत्येक जोखिम को निम्नानुसार दर्शाया जाए:
- इश्युअर और संबंधित नगरपालिकाओं की नज़र में क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं।
  - जोखिम से निपटने के क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है (यदि कोई हो)।
- (e) जोखिमों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी दी जाए (यह भी बताया जाए कि प्रोजेक्ट से जुड़े कौन-कौन से जोखिम हो सकते हैं, कामकाज से जुड़े कौन-कौन से जोखिम हो सकते हैं, ऋण चुकाने से जुड़े कौन-कौन से जोखिम हो सकते हैं, लिक्विडिटी से जुड़े कौन-कौन से जोखिम हो सकते हैं, आदि)।
- (f) यह भी बताया जाए कि प्रोजेक्ट से जुड़े जोखिमों को लेकर प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) की क्या राय है।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./192/2026-27]

### टिप्पणी:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015 (अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/006) 15 जुलाई, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023 (अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146) द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 1st July, 2026

#### Securities And Exchange Board of India (Issue And Listing of Municipal Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2026

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/305.**—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015, namely:—

- These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2026.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015, —

- I. in regulation 2, in sub-regulation (1),
- a. after clause (v) and before clause (w), the following clause shall be inserted, namely, -
- “(va) “retail individual investor” means an individual investor who applies or bids for municipal debt securities for a value of not more than two lakhs rupees;”
- b. after clause (za), the following clause shall be inserted, namely, -
- “(zb) “working day” means all days on which commercial banks in the city, as specified in the offer document, are open for business;
- Explanation: For the purpose of this definition, in respect of –
- (i) Announcement of bid /issue period:
- working day shall mean all days, excluding Saturdays, Sundays and public holidays, on which commercial banks in the city as notified in the offer document are open for business;
- (ii) the time period between the bid/ issue closing date and the listing of the non-convertible securities on the stock exchanges:
- working day shall mean all trading days of the stock exchanges for non-convertible securities, excluding Saturdays, Sundays and bank holidays, as specified by the Board;”
- II. after regulation 4E, the following regulation shall be inserted, namely-
- “4F. Issuance of Environment, Social and Governance Debt Securities
- An issuer desirous of issuing and listing of Environment, Social and Governance Debt Securities shall comply with the conditions as may be specified for such securities under Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 and circulars issued thereunder.”
- III. after regulation 5 and before regulation 6, the following regulation shall be inserted, namely, -
- “5A. Pooled financing through Special Purpose Vehicle
- In case the issuer is a special purpose vehicle set up under the Pooled Finance Development Fund Scheme of the Government of India, the constituent Municipalities shall enter into an agreement with such issuer prior to raising funds and shall disclose the same in the offer document. Such special purpose vehicle shall be formed as either a Trust or a Company.”
- IV. in regulation 6, in sub-regulation (2), in clause (a), after the words “Schedule I” and before the words “and Schedule IA”, the words and symbols “or Schedule IB, as applicable,” shall be inserted.
- V. in regulation 9,
- a. in sub-regulation (1),
- i. after the words “issuer may make an advertisement” and before the words “in a national daily” the words and symbol “through electronic modes such as online newspapers or website of the issuer or the stock exchange, or” shall be inserted;
- ii. the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:.”;
- iii. the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that issuers opting to advertise the public issue through electronic modes shall also publish a notice in a national daily with wide circulation, exhibiting a QR Code and link to the complete advertisement.”

- VI. in regulation 14A, in sub-regulation (2), in clause (a), after the words “Schedule I” and before the words “and Schedule IA”, the words and symbols “or Schedule IB, as applicable,” shall be inserted.
- VII. in regulation 22B,
- a. the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;
  - b. the following provisos shall be inserted, namely, -
 

“Provided that nothing contained in this regulation shall preclude the issuer from offering an incentive in the form of additional interest or a discount to the issue price to senior citizens, women, serving and retired defence personnel, widows and widowers of defence personnel, retail individual investors or any other category of investors as may be specified by the Board from time to time:

Provided further that such incentive shall be available only to the initial allottee but not in case the municipal debt securities are transferred/ transmitted post allotment.”
- VIII. in regulation 23, in sub-regulation (2), the word “of” appearing after the words “shall comprise” and before the words “independent directors”, shall be omitted.
- IX. in regulation 27, in sub-regulation (3), after the words “Schedule I”, the words and symbols “or Schedule IB, as applicable,” shall be inserted.
- X. in Schedule I, in paragraph 5, after clause (h), the following clause shall be inserted, namely,-
- “(i) If the project is re-financed, the following details shall be provided in respect of the lenders and existing project(s) related loan(s) or debt that are being refinanced, as per the specified format:
- i. Type of existing loan/ debt
  - ii. Original amount of loan / debt
  - iii. Existing lenders
  - iv. Existing rate of interest
  - v. Existing repayment schedule
  - vi. Details of project(s) financed by existing loan/ debt
  - vii. Past restructuring, if any, on the said project
  - viii. Reason for re-finance”
- XI. after Schedule IA and before Schedule II, the following Schedule shall be inserted, namely, -

#### **“Schedule IB**

[See Regulation 6, 14A and 27]

*(Applicable in case of Special Purpose Vehicle, which is set up for the purpose of raising funds for a person for performing one or more functions entrusted under Article 243W of the Constitution of India)*

**DISCLOSURES IN THE OFFER DOCUMENT AND PLACEMENT MEMORANDUM**

All disclosures specified under this schedule shall be made in the draft offer document or the preliminary placement memorandum or offer document or placement memorandum, as applicable.

**1. Instructions:**

- (a) All information shall be relevant and updated. The source and basis of all statements and claims shall be disclosed.
- (b) All blank spaces in the draft offer document/ preliminary placement memorandum shall be filled up with appropriate data before registering the offer document /placement memorandum, as applicable, with the Registrar of Companies or filing the same with the recognised stock exchanges.
- (c) Plain English shall be used to enable easy understanding of the contents. Technical terms, if any, used in explaining the business of the issuer shall be clarified in simple terms.
- (d) Wherever it is mentioned that details are given elsewhere in the document, the same shall be adequately cross-referenced by indicating the paragraph heading and page number.
- (e) There shall be no forward-looking statements that cannot be substantiated.
- (f) Consistency shall be ensured in the style of disclosures. If the first person is used, the same may be used throughout. All sentences that contain a combination of first and third persons may be avoided.
- (g) For presentation currency, only one standard financial unit shall be used.

**2. Applicability:**

An issuer making a public issue or private placement of municipal debt securities that are intended to be listed shall make the disclosures as specified in this Schedule.

**3. General information:**

- (a) Name and address of the head office and other offices of the issuer
- (b) Registered and corporate office of the issuer, if applicable
- (c) Details of the members of the Committee approving the Issue/ project(s) of the Issuer and Bond Issue Committee or any such similar committee, in the following format:-

Name and Designation	Date of Appointment or Resignation	Member of the Committee since (in case of resignation)	Remarks

- (d) Name, designation, address and DIN of each member of the board of directors of the issuer if the issuer is a company.
- (e) Name, address, telephone number and email address of the compliance officer of the issuer
- (f) Complete Details of the Official In-charge of dealing with investor Grievances related to the Municipal debt securities, his/her address, phone number, email ID, etc.
- (g) Chief Accounts and Finance Officer or equivalent of the Issuer
- (h) Arrangers, if any, of the instrument

- (i) Debenture trustee of the issue
- (j) Registrar to an issue
- (k) Credit Rating Agency (-ies) of the issue and
- (l) Auditors of the Issuer
- (m) Names, addresses, telephone numbers, contact person, website addresses and e-mail addresses of the lead manager(s), registrars to the issue, bankers to the issue, brokers to the issue and syndicate member(s); along with URL of SEBI website listing out the details of self-certified syndicate banks, registrar to the issue and depository participants, etc., if applicable.
- (n) Names, addresses, telephone numbers and e-mail addresses of the Company Secretary, legal advisor, underwriters and bankers to the issue.
- (o) Names of the debenture trustee(s) shall be mentioned with a statement to the effect that the debenture trustee(s) has given his consent to the Issuer for his appointment. This also needs to be mentioned in all subsequent communications sent to the holders of debt securities.
- (p) Investor grievances redressal mechanisms.

#### **4. About the issuer and Capital structure of the issuer:**

- (a) The constitution document of the issuer.
- (b) Details of the capital structure of the issuer, if applicable.
- (c) Details of the management structure of the issuer.
- (d) Shareholding pattern of the issuer along with top 10 shareholders of the issuer, if applicable.
- (e) Resolution authorizing the borrowing of the Issuer and each constituent Municipality along with the list of authorized signatories of the Issuer.
- (f) Details of necessary Resolution(s) for the allotment of municipal debt securities of the issuer.
- (g) Memorandum and Articles of Association in case the issuer is a body corporate incorporated under Companies Act, 2013, if applicable.
- (h) Details of any Reorganization or Reconstruction of management in the last 1 year of the issuer.
- (i) Capital structure relating to projects for which funds are proposed to be mobilized.
- (j) Capital grant for the proposed project(s) and the amount received in this regard.

#### **5. Objects of the issue:**

- (a) The proceeds of the proposed issue shall be clearly earmarked for a defined project or a set of projects along with the location of the project(s) and plant and machinery, technology, process, etc.
- (b) Where the issuer proposes to undertake more than one activity or project, such as diversification, modernization, or expansion, etc., the total project cost activity-wise or project wise, as the case may be.
- (c) Where the issuer is implementing the project(s) in a phased manner, the cost of each phase, including the phase, if any, which has already been implemented, shall be separately given.
- (d) An investment plan for the project components as well as phases thereof as well as financing thereof as approved by the local authority or the agency as the case may be.

- (e) Schedule of implementation of the project(s).
- (f) Benchmarks for commencement and completion of the project(s) including milestone dates for all components of the project.
- (g) Details and status of the regulatory approval (if required).
- (h) Expenses of the Issue:

Expenses of the issue along with a break up for each item of expense, including details of the fees payable to/for separately as under (in terms of amount, as a percentage of total issue expenses and as a percentage of total issue size):

- (i) Lead manager(s) fees including underwriting commission
  - (ii) Brokerage, selling commission and upload fees
  - (iii) Registrars to the issue
  - (iv) Legal Advisors
  - (v) Advertising and marketing expenses
  - (vi) Regulators including stock exchanges
  - (vii) Printing and distribution of issue stationary
  - (viii) Others, if any (to be specified).
- (i) If the project is re-financed, the following details shall be provided in respect of the lenders and existing loan(s) that are being refinanced, as per the specified format:
- (a) Type of existing loan
  - (b) Original Amount of loan / debt
  - (c) Existing lenders
  - (d) Existing rate of interest
  - (e) Existing repayment schedule
  - (f) Purpose of existing debt
  - (g) Past restructuring, if any, on the said project
  - (h) Reason for re-finance.

#### **6. Tax Benefits:**

Any special tax benefits (under direct and indirect tax laws) for the issuer and its investors.

#### **7. Issue specific Information:**

- (a) Issue/instrument specific regulations - relevant details (Relevant Act, RBI guidelines, etc.).
- (b) The detailed rating rationale (s) adopted (not older than one year on the date of opening of the issue)/ credit rating letter issued (not older than one month on the date of opening of the issue) by the rating agencies shall be disclosed. Names of all the credit rating agencies from which credit rating including unaccepted rating has been obtained.
- (c) Credit Enhancement Mechanisms if any, with complete details, if any.
- (d) Names of all the recognised stock exchanges where the debt securities are proposed to be listed clearly indicating the designated stock exchange.

- (e) Additional interest to be paid, above the Coupon Rate, in case of default in payment of Interest and/or principal redemption on the due dates.
- (f) Penal interest payable by the issuer in case of delay in listing of debt securities from the deemed date of allotment.
- (g) Debenture Redemption Reserve and such other reserve creation - relevant regulations as applicable.
- (h) Application process.
- (i) Procedure for deciding and adjusting payment dates (in response to days when payment cannot be made due to any reason such as sudden bank holiday).
- (j) 'Terms of payments' and procedure and time schedule for allotment and issue certificates/demat credit.
- (k) How to apply, availability of application forms and letter of offer and mode of payment.
- (l) Change in terms and conditions of municipal debt securities issued in past 5 years (i.e. change in coupon, maturity, call/put option etc.).
- (m) Procedure and time schedule for allotment and issue of municipal debt securities.
- (n) Details of escrow payment mechanism for the repayment of the interest/principal.

## 8. Financial Information

I. Following details as per the financial statements for past 3 years in tabular format:

- (a) Abridged Balance Sheet, Income and Expenditure and Receipts and Payments Accounts of the Issuer for the last three financial years with major heads:

Provided issuers who are desirous of issuing debt securities on private placement basis and who are in existence for less than three years may disclose financial statements mentioned above for such period of existence.

- (b) Link and Quick Response (QR) code to the web page of the Issuer where the Abridged Balance Sheet, Income and Expenditure and Receipts and Payments Accounts of the constituent Municipalities and Issuer can be accessed should be given.
- (c) Link and Quick Response (QR) code to the web page of the Issuer where budget documents for the previous three years containing actual financial performance and/or revised estimates along with the details of related party transactions of the constituent Municipalities can be accessed should be given.
- (d) Financial Parameters of the constituent Municipalities and the Issuer for the last (three) years, separately:

Key Financial Figures	FY	FY	FY
Revenue income			
Revenue expenditure (Excl. Interest)			
Operating revenue Surplus			
Interest expense			
Principal repayment (outside sinking Fund)			
Contribution to Sinking fund			
Revenue surplus			
Capital income			
Capital expense			

Capital surplus			
Overall surplus			
Deposits and Advances (net)			
Initial Cash / Bank balance			
Change in Cash / Bank balance			
Final Cash / Bank balance			
Loan repayment from sinking fund			
Initial Sinking fund balance			
Change in sinking fund			
Final sinking fund balance			
Total debt			
Ratio of Total Expenditure /Total Revenue			
Cash surplus / total revenue			
Ratio of Debt Service / Total Revenue			

Provided issuers who are desirous of issuing debt securities on private placement basis and who are in existence for less than three years may disclose financial statements mentioned above for such period of existence.

II. Details of top five revenue sources for the previous three years of the constituent Municipalities:

Revenue Receipt type	Actual	Actual	Actual
	FY	FY	FY
XYZ 1			
XYZ 2			
XYZ 3			
XYZ 4			
XYZ 5			

III. Details of property tax collection of the constituent Municipalities:

Particulars	Demand Raised			Collections			Overall Collection ratio	Current Collection ratio
	Arrear	Current	Total	Current	Arre ar	Total		
FY								
FY								
FY								

IV. Borrowings of the Issuer and constituent Municipalities

Details of borrowings, as on the latest quarter end:-

## a. Details of Secured Loan Facilities:-

Lender's Name	Type of Facility	Amt Sanctioned	Principal Amt outstanding	Repayment Date / Schedule	Security

## b. Details of Unsecured Loan Facilities:-

Lender's Name	Type of Facility	Amt Sanctioned	Principal Amt outstanding	Repayment Date / Schedule

## c. Details of NCDs/Bonds: -

Debenture/ Bond Series	Tenor/ Period of Maturity	Coupon	Amount	Date of Allotment	Redemption Date/ Schedule	Credit Rating	Secured/ Unsecured	Security

## d. List of the Top ten Debenture Holders (as on .....)

Sr. No.	Name of Debenture Holders	Amount

Note: Top ten holders' (in value terms, on cumulative basis for all outstanding debentures issues) details should be provided.

## e. Details of Commercial Paper:- The total Face Value of Commercial Papers Outstanding as on the latest quarter end to be provided and its breakup in following table:-

Maturity Date	Amount Outstanding

## f. Details of Rest of Borrowings.

## g. Details of any outstanding borrowings and debt securities issued for consideration other than cash, whether in whole or part, at a premium or discount, or in pursuance of an option;

- V. Sufficient revenue generation and resources for timely servicing and redemption.
- VI. Estimated Scenarios of Asset Liability Mis-matches, efforts intended to resolve the same.

**9. Legal and Other Information:**

## a. Pending litigations and material developments:

Pending Litigations involving the issuer/ its directors/ promoters/ subsidiaries/  
constituent Municipalities:

- (vi) All criminal proceedings;
  - (vii) All actions by regulatory and statutory authorities;
  - (viii) Disciplinary action including penalty imposed by SEBI or stock exchanges against the promoters during the previous five financial years including outstanding action;
  - (ix) Claims related to direct and indirect taxes, in a consolidated manner, giving the number of cases and total amount;
  - (x) Other pending litigation - As per the policy of materiality defined by the Board of Directors of the Issuer and disclosed in the offer document/ placement memorandum.
- b. Outstanding dues to creditors of the issuer:
- (iv) Based on the policy on materiality defined by the Board of Directors of the Issuer, details of creditors which include the consolidated number of creditors and the aggregate amount involved of the Issuer and constituent Municipalities shall be disclosed, on the website of the Issuer with a web link and Quick Response (QR) code thereto;
  - (v) Consolidated information on outstanding dues to micro, small and medium enterprises, separately giving details of number of cases and amount involved shall be disclosed, on the website of the Issuer with a web link and Quick Response (QR) code thereto;
  - (vi) Complete details about outstanding dues to material creditors along with the name and amount involved for each such material creditor shall be disclosed, on the website of the company with a web link and Quick Response (QR) code thereto.
- c. If any of the above mentioned litigation, material developments or dues to creditors etc., arise after the filing the draft offer document/ preliminary placement memorandum, the facts shall be appropriately incorporated in the offer document/ placement memorandum. In case there are no such cases, a distinct negative statement is required to be made in this regard in the offer document/ placement memorandum.
- d. Material developments since the date of the last balance sheet of the issuer shall be incorporated separately in the offer document or placement memorandum.
- e. Statement containing particulars of dates of, and parties to all material contracts and agreements of the issuer:
- Provided that a recognized stock exchange may call for such further particulars or documents as it deems appropriate.
- f. Any material event/ development or change having implications on the financials/ credit quality of the issuer (e.g. any material regulatory proceedings against the Issuer, resulting in material liabilities, restructuring event, etc.) at the time of the issue which may affect the issue or the investor's decision to invest/ continue to invest in the municipal debt securities.
- g. Details of non-payment of statutory dues of the Issuer and constituent Municipalities, if any.

- h. Details of all default/s and/or delay in payments of interest and principal of any kind of term loans, debt securities and other financial instrument issued by the Issuer, in the past 3 years.

#### **10. Government approvals:**

- a. Investment approvals, letter of intent or industrial license from GoI, RBI, etc., as applicable for the issuer, and declaration of the Central Government, Reserve Bank of India or any regulatory authority about the non-responsibility for financial soundness or correctness of the statements;
- b. All Government and other approvals which are material and necessary for carrying on the business and operations of the issuer and material subsidiaries.

#### **11. Undertaking by the issuer:**

The following undertaking by the issuer shall be given:

- a. that it shall submit the documents disclosed in the offer document or placement memorandum to the Debenture Trustee in electronic form (soft copy).
- b. that the complaints received in respect of the issue shall be attended to by the issuer expeditiously and satisfactorily.
- c. that all steps for completion of the necessary formalities for listing and commencement of trading at all stock exchanges where the securities are to be listed are taken within the period specified by the Board.
- d. Declaration signed by the Director(s) of the Issuer, if it is a body corporate to which the Companies Act, 2013 applies, stating that offer document/ placement memorandum contains true, fair and adequate information to enable investors to make a well informed decision making regarding their investment in the proposed issue.
- e. a statement to be given by the Board of the Issuer or Standing Committee thereof that all monies received out of the issue shall be transferred to a separate bank account.
- f. the details of all utilized and unutilised monies out of the monies collected in the previous issue made by way of public offer shall be disclosed and continued to be disclosed in the balance sheet till the time any part of the proceeds of such previous issue remains unutilized indicating the purpose for which such monies have been utilized and the securities or other forms of financial assets in which such unutilized monies have been invested.

#### **12. Documents to be submitted**

- (a) Copy of the resolution authorizing the borrowing and list of authorized signatories of the issuer.
- (b) Copy of the Trust deed, where the issuer is constituted as a trust.
- (c) Documents that have been executed or shall be executed in relation to the issue.

#### **13. Risk factors:**

- (a) Risk factors shall be printed in a clear readable font (of minimum point ten size).
- (b) Risk factors shall be classified as those which are specific to the project and internal to the issuer and constituent Municipalities and those which are external and beyond the control of the issuer and constituent Municipalities.

- (c) Risk factors shall be determined on the basis of their materiality. In doing so, the following shall be considered:
- i. Some risks may not be material individually but may be material when considered collectively.
  - ii. Some risks may have an impact which is qualitative though not quantitative.
  - iii. Some risks may not be material at present but may have a material impact in the future.
- (d) Each risk factor shall appear in the following manner:
- i. The risk as envisaged by the issuer and constituent Municipalities.
  - ii. Proposals, if any, to address the risk.
- (e) Comprehensive Disclosure regarding the Risk Factors, including project risks, operational risks, credit risks, liquidity risks, etc.
- (f) Management perception of risk factors specific to the project.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./192/2026-27]

**Notes:**

The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on July 15, 2015 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/006 and was last amended on August 18, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.